राजस्थान सरकार
पंचायती राज विभाग

सं. एफ.4(11)पी.आर.डी./लॉ/रूल/एमेण्ड/07/445 जयपुर, दिनांक 1.2.08

अधिसूचना

राज्य सरकार, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम सं. 13) की धारा 102 द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त उसे समर्थ बनाने वाली समस्त अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ** .– (1) इन नियमों का नाम राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) नियम, 2008 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **नियम 157 का संशोधन** .– राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रुप में निर्दिष्ट किया है, के नियम 157 में,

(i) उप नियम (1) में, अभिव्यक्ति "पंचायत द्वारा" के, पश्चात् और अभिव्यक्ति "जारी किया जा सकेगा।" के पूर्व अभिव्यक्ति "प्ररूप 23–क में" अन्तः स्थापित की जायेगी।

(ii) उप नियम (2) में, अभिव्यक्ति "ऐसी भूमि का पट्टा" के पश्चात् और अभिव्यक्ति "ऐसी महिला के नाम" के पूर्व अभिव्यक्ति "प्ररूप 23–ख में" अन्तः स्थापित की जायेगी।

3. **नियम 158 का संशोधन** .– उक्त नियमों के नियम 158 के उप–नियम (1) में, अभिव्यक्ति "निःशुल्क आवंटित कर सकेगी" के पश्चात् और विराम चिह्न (I) के पूर्व अभिव्यक्ति "और ऐसी भूमि का पट्टा प्ररूप 23–ग में जारी किया जा सकेगा।" अन्तःस्थापित की जायेगी।

4. **नये प्ररूपों का अन्तःस्थापन** .– उक्त नियमों से संलग्न विद्यमान प्ररूप 23 के पश्चात्, निम्नलिखित नये प्ररूप अन्तःस्थापित किये जायेंगे, अर्थात् :–

" प्ररूप – 23–क
(नियम 157 (1) देखिए)
आवासीय भूमि का पट्टा

ग्राम पंचायत .....
पंचायत समिति.....
जिला..... (राजस्थान)

यह विलेख आज दिनांक .....को प्रथम पक्ष, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का राजस्थान अधिनियम सं. 13) के अधीन स्थापित पंचायत – (पंचायत का नाम) – (जिसे इसमें इसके पश्चात् "आवंटन प्राधिकारी"कहा गया है) और दूसरे पक्ष श्री/श्रीमती/सुश्री.....
पुत्र/पत्नी/पुत्री..... निवासी.....(जिसे इसमें इसके पश्चात् "आवंटिती" कहा गया है) के बीच किया जाता है।

यतः

इससे उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि, जो उसे लाल रंग में सीमाबद्ध दर्शित करती है, आवंटन के प्रयोजन के लिए आवंटन प्राधिकारी में निहित है।

यह पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157 (1) के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर श्री/श्रीमती.....
पुत्र/पत्नी..... के पक्ष में जारी किया जाता है :–

1. पूर्वोक्त आवंटिती का पचास वर्ष से अधिक से पुराने घर पर कब्जा है/ पंचायत आबादी भूमि पर राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के प्रारम्भ होने की तारीख से पिछले पचास वर्षों के दौरान संनिर्मित किया गया है। आवंटिती ने एक सौ/दो सौ रुपये की फीस निक्षिप्त कर दी है।

2. उपाबद्ध मानचित्र योजना में भूमि का क्षेत्र लाल स्याही से चिह्नित है।

3. आवंटिती घर के पुनर्निर्माण के लिए उधार लेने के लिए दस्तावेज सरकारी उपक्रम, सहकारी बैंक, वाणिज्यिक बैंक या किसी अन्य वित्तीय संस्था के पास बंधक रख सकता है।

4. आवंटिती सरकार या स्थानीय प्राधिकारी को संदेय समस्त करों या अन्य प्रभारों का संदाय करने का दायी होगा।

संकल्प सं. ..... की अनुपालना में आज दिनांक..... को ग्रम पंचायत द्वारा जारी किया गया।

हस्ताक्षर सचिव

हस्ताक्षर सरपंच

सीमांकन –

1. उत्तर .....
2. दक्षिण .....
3. पूर्व .....
4. पश्चिम .....

मानचित्र : (मानचित्र में दर्शित भूमि लाल स्याही से सीमांकित है)

माप

उत्तर की ओर .....
दक्षिण की ओर .....
पूर्व की ओर .....
पश्चिम की ओर .....

कुल क्षेत्र .....वर्ग गज

हस्ताक्षर सचिव

हस्ताक्षर सरपंच

प्ररूप – 23–ख
(नियम 152 (2) देखिए)

आबादी भूमि का आवंटन/परिवारों में के कब्जे के अस्थायी मकानों/कच्चे मकानों का नियमितीकरण

विक्रय के लिए नहीं
(लाल स्याही से)

ग्राम पंचायत .....
पंचायत समिति .....
जिला ..... (राजस्थान)

यह विक्रय–विलेख आज दिनांक .....को प्रथम पक्ष, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का राजस्थान अधिनियम सं. 13) के अधीन स्थापित पंचायत – (ग्राम पंचायत का नाम)..... , जो उस अधिनियम की धारा 9 के उपबन्धों के आधार पर एक निगमित निकाय है (जिसे इसमें इसके पश्चात् "आवंटन प्राधिकारी" कहा गया है) और दूसरे पक्ष श्रीमती..... .....पत्नी..... निवासी..... (जिसे इसमें इसके पश्चात् आवंटिती कहा गया है) के बीच किया जाता है।

यतः

इससे उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि, जो उसे लाल रंग में सीमाबद्ध दर्शित करती है, आवंटन प्राधिकारी मे निहित है।

यतः आवंटिती के परिवार के पास कहीं भी कोई घर या निवास स्थल नहीं है और पूर्वोक्त भूमि पर वर्ष 2003 तक अस्थायी मकान/कच्चे मकान के संनिर्माण के रुप में आबादी भूमि का कब्जा है।

यतः ग्राम पंचायत ने राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157 (2) के अधीन आवंटिती को भूमि आवंटित कर दी है और भूमि का कब्जा सौंप दिया है।

और यतः पंचायत इसमें इसके पश्चात् उल्लिखित निबन्धनों और शर्तों पर उपर्युक्त भूमि, जिसकी माप.....वर्ग गज (अधिकतम 300 गज) है, आवंटित करने के लिए करार करती है।

और यतः पंचायत ने दिनांक..... को आवंटिती को पट्टांतरित भूमि का कब्जा सौंप दिया है।

अब यह विलेख निम्नलिखित रूप में साक्ष्य प्रस्तुत करता है :–

1. यह आवंटन नियमों में अधिकथित प्रकिया का अनुसरण करने के पश्चात् किया गया है।

2. ऐसी भूमि श्रीमती .....को आवंटन प्राधिकारी को उसके आवेदन के सम्बन्ध में आवासीय प्रयोजन के लिए निःशुल्क आवंटित की गयी है।

3. आवंटिती और उसके वारिसों को किसी भी व्यक्ति को भूमि अन्तरण करने का अधिकार नहीं होगा और शर्त सं. 4 में उपबंधित के सिवाय भूमि आवंटिती के स्वयं के कब्जे में रहेगी।

4. इस भूमि पर घर का संनिर्माण करने के लिए, आवंटिती को सरकारी उपक्रम, सहकारी बैंक या किसी अन्य वित्तीय संस्था से उधार लेने के लिए दस्तावेज को बंधक रखने का अधिकार होगा।

5. यह भू–खण्ड आवासीय प्रयोजन के रुप में उपयोग में लिया जा सकेगा।

6. आवंटन प्राधिकारी के पास भूमि के आवंटन को रद्द करने का अधिकार आरक्षित है यदि आवंटिती द्वारा कोई मिथ्या जानकारी दी जाती है या यदि वह किसी व्यक्ति को भू–खण्ड का अन्तरण करता है।

7. आवंटिती गांव के व्यवस्थित विकास के लिए ग्राम पंचायत द्वारा अनुमोदित योजनाओं का अनुपालन करने के लिए आबद्ध होगा।

8. आवंटन प्राधिकारी के पास आवंटन रद्द करने का अधिकार आरक्षित है यदि आवेदक किसी शर्त या नियमों के किन्हीं उपबन्धों का अतिक्रमण करता है। आवंटन रद्द करने के पूर्व आवंटन प्राधिकारी आवंटिती को सुनवाई का अवसर देगा।

9. आवंटिती सरकार और अन्य स्थानीय प्राधिकारी को संदेय समस्त करों या प्रभारों का संदाय करने का दायी होगा।

संकल्प सं. .....की अनुपालना में आज दिनांक..... को ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया।

हस्ताक्षर सचिव

हस्ताक्षर सरपंच

सीमांकन

1. उत्तर
2. दक्षिण
3. पूर्व
4. पश्चिम

मानचित्र : (मानचित्र में दर्शित भूमि लाल स्याही से सीमांकित है)

माप

उत्तर की ओर .....
दक्षिण की ओर .....
पूर्व की ओर .....
पश्चिम की ओर .....

कुल क्षेत्र .....वर्ग गज

हस्ताक्षर सचिव

हस्ताक्षर सरपंच

प्ररूप – 23–ग
(नियम 158 देखिए)

आबादी भूमि का रियायती दर पर/निःशुल्क आवंटन

ग्राम पंचायत .....
पंचायत समिति .....
जिला ..... (राजस्थान)

यह विक्रय–विलेख आज दिनांक .....को प्रथम पक्ष, राजस्थान पंचायत राज अधिनियम, 1994 (1994 का राजस्थान अधिनियम सं. 13) के अधीन स्थापित पंचायत – (पंचायत का नाम) –, जो उस अधिनियम की धारा 9 के उपबन्धों के आधार पर एक निगमित निकाय है (जिसे इसमें इसके पश्चात् "आवंटन प्राधिकारी" कहा गया है) और दूसरे पक्ष श्री..... पुत्र.....निवासी..... (जिसे इसमें इसके पश्चात् "आवंटिती" कहा गया है) के बीच किया जाता है।

यतः आवंटिती ने घर के संनिर्माण के लिए रियायती दर पर/निःशुल्क भूमि आवंटन के लिए अनुरोध किया है और पंचायत उसी के आवंटन के लिए करार करती है।

यतः ग्राम पंचायत ने राजस्थान पंचायत राज नियम, 1996 के नियम 158 के अधीन भूमि आवंटित कर दी है और भूमि का कब्जा आवंटिती को सौंप दिया है।

और यतः पंचायत इसमें इसके पश्चात् उल्लिखित निबन्धनों और शर्तों पर आवासीय प्रयोजन के लिए भूमि, जिसकी माप.....वर्गगज है (अधिकतम 150 गज), आवंटन करने का करार करती है।

और यतः पंचायत ने आवंटिती को पट्टांतरित भूमि का कब्जा सौंप दिया है।

अब यह विलेख निम्नलिखित रुप में साक्ष्क प्रस्तुत करता है :–

1. आवंटिती रियायती दर पर/निःशुल्क आवंटन का पात्र है।
2. भूमि, जो उपाबद्ध मानचित्र में लाल स्याही में उपदर्शित है, आवंटिती को आवासीय प्रयोजन के लिए अन्तरित की जाती है।

3. आवंटिती और उसके वारिसों को किसी भी व्यक्ति को भूमि अन्तरण करने का अधिकार नहीं होगा और शर्त सं. 4 में उपबंधित के सिवाय भूमि आवंटिती के स्वयं के कब्जे मे रहेगी।

4. इस भूमि पर घर का संनिर्माण करने के लिए आवंटिती को सरकारी उपक्रम, सहकारी बैंक या किसी अन्य वित्तीय संस्था से उधार लेने के लिए दस्तावेज को बंधक रखने का अधिकार होगा।

5. ऐसी भूमि आवंटिती को राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के उपबन्धों के अनुसार उसके आवेदन के सम्बन्ध में आवासीय प्रयोजन के लिए..... .....दर पर/निःशुल्क आवंटित की गयी है।

6. यह भू–खण्ड आवासीय प्रयोजन के रूप में उपयोग में लिया जा सकेगा।

7. आवंटन प्राधिकारी के पास भूमि के आवंटन को रद्द करने का अधिकार आरक्षित है यदि आवंटिती द्वारा कोई मिथ्या जानकारी दी जाती है या यदि वह किसी व्यक्ति को भू–खण्ड का अन्तरण करता है।

8. आवंटिती गांव के व्यवस्थित विकास को ध्यान में. रखते हुए ग्राम पंचायत द्वारा अनुमोदित योजनाओं का अनुपालन करने के लिए आबद्ध होगा।

9. आवंटन प्राधिकारी के पास, ~~आवंटन~~ भूखण्ड रद्द करने का अधिकार आरक्षित है यदि आवेदक किसी शर्त या नियमों के किन्हीं उपबन्धों का अतिक्रमण करता है। ऐसे भू–खण्ड का आवंटन रद्द करने के पूर्व, आवंटन प्राधिकारी आवंटिती को सुनवाई का अवसर देगा।

10. आवंटिती सरकार और अन्य स्थानीय प्राधिकारी को संदेय समस्त करों या प्रभारों का संदाय करने का दायी होगा।

संकल्प सं. .....की अनुपालना में आज दिनांक ..... को ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया।

हस्ताक्षर सचिव

हस्ताक्षर सरपंच

सीमांकन

1. उत्तर
2. दक्षिण
3. पूर्व
4. पश्चिम

मानचित्र : (मानचित्र में दर्शित भूमि लाल स्याही से सीमांकित हैं)

माप
उतर की ओर.....
दक्षिण की ओर.....
पूर्व की ओर.....
पश्चिम की ओर.....

कुल क्षेत्र .....वर्गगज

हस्ताक्षर सचिव

हस्ताक्षर सरपंच

राज्यपाल के आदेश से,

(हरि सिंह यादव)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपिः–
1:–निदेशक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजस्थान राजपत्र (असाधारण)के भाग 4(सी)(जी0एस0आर0आई0) के उपखण्ड एक में प्रकाशनार्थ प्रेषित है ।
2:–निजी सचिव, मुख्य मंत्री राजस्थान, जयपुर ।
3:–विशिष्ठ सहायक, मंत्री ,ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज0 जयपुर ।
4:–निजी सचिव, राज्य मंत्री ,ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज0 जयपुर
5:–निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव ,ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज0 जयपुर ।
6:–निजी सहायक, शासन सचिव एवं आयुक्त पंचायती राज विभाग राज0 जयपुर ।
7:–सम्भागीय आयुक्त, समस्त ।
8:–जिला कलक्टर समस्त ।
9:–मुख्य/अति0 मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद समस्त ।
10:–विकास अधिकारी, पंचायत समिति,समस्त ।

शासन उप सचिव